पत्रांक- 3ए-2-वे०पु०-13/2015-2189/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः- 21/03/2018

विषयः- श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के अन्तर्गत उप प्राचार्य तथा प्राचार्य का पुनरीक्षित वेतन स्तर के संशोधन के संबंध में।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 के द्वारा दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के पदाधिकारियों के लिए निम्नरूपेण पुनरीक्षित वेतन स्तर की स्वीकृति दी गई है :-

क्र०सं०	पदनाम	वेतन स्तर
1	उप प्राचार्य	8
2	प्राचार्य	9
3	प्रवर कोटि प्राचार्य	11
4	उप निदेशक	12
5	संयुक्त निदेशक	13

2. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा सम्वर्ग के सम्बन्ध में राज्य वेतन आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि यदि विभाग द्वारा उक्त संवर्ग को मूल कोटि पद सहित चार-स्तरीय पदीय संरचना के रूप में पुनर्गठित किया जाता है तो क्रमशः वेतन स्तर-8, 11, 12 एवं 13 अनुमान्य होगा।

3. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रवर कोटि प्राचार्य के पद को सम्वर्ग से हटाते हुए मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनोपरान्त प्रशासी विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-176, दिनांक-14/12/2017 के द्वारा राज्य सेवाओं की भांति बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के उपरान्त निम्नवत् पदसोपान एवं उसके लिए वेतन स्तर विहित किया गया है-

क्र०सं०	पदनाम	वेतन स्तर
1	उप प्राचार्य	9
2	प्राचार्य	11
3	उप निदेशक	12
4	संयुक्त निदेशक	13

4. बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के मूल कोटि पद, उप प्राचार्य की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, अन्य तकनीकी सेवा संवर्गों यथा बिहार अभियंत्रण सेवा, बिहार उद्योग सेवा आदि राज्य सेवाओं के मूल कोटि पद के समकक्ष है। अतः बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को दृष्टिपथ में रखते हुए पुनर्गठन की तिथि से अन्य राज्य सेवाओं के समान बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के मूल कोटि पद, उप प्राचार्य पद के लिए वेतन स्तर-9 तथा प्रथम प्रोन्नति का पद, प्राचार्य के लिए वेतन स्तर-11 स्वीकृत किए जाने का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

5. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि पुनर्गठन संबंधी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-176, दिनांक-14/12/2017 के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 के चैप्टर-5 (5.1) के क्रम संख्या-1043 एवं 1044 को संशोधित करते हुए बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के उप प्राचार्य तथा प्राचार्य के लिए दिनांक-14/12/2017 के प्रभाव से क्रमशः वेतन स्तर-9 तथा वेतन स्तर-11 अनुमान्य होगा तथा क्रम संख्या-1045 में अंकित 'प्राचार्य (प्रवर कोटि)/क्षेत्रीय निरीक्षण पदाधिकारी' को विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-13/2015 -**2189/वि०** पटना, दिनांक-**21/03/2018**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-13/2015 -**2189/वि०** पटना, दिनांक-**21/03/2018**

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-13/2015 **-2189/वि०** पटना, दिनांक-**21/03/2018**

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग / अवर सचिव, वेतन निर्धारण, प्रशाखा-26/ सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड हेतु)/ प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग।